ओआईएच

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3965
दिनांक 25 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

मवेशी व्यवसाय

3965. श्रीमती संध्या रायः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है**;**

(ख) भिंड और दतिया जिलों में मवेशी व्यवसाय को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के नाम क्या हैं**;** और

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत उक्त जिलों के लिए आबंटित/जारी और उपयोग की गई निधि का वर्षवार/जिलावार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

(i) **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**: यह योजना देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए है।

(ii) **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम**: यह योजना सहकारी डेयरी क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना के निर्माण पर केंद्रित है।

(iii) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन** : राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति-पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन का उत्पादन बढ़ाना है।

(iv**) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम** : यह योजना खुरपका और मुंहपका, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने तथा डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं।

(v) **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ):** यह योजना डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र; नस्ल सुधार तकनीक, पशु चिकित्सा टीके और दवा उत्पादन सुविधाएं और पशु अपशिष्ट प्रबंधन से धन सृजन जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देती है। AHIDF की सफलता के साथ, डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि को 1 फरवरी, 2024 को AHIDF में विलय कर दिया गया, पिछले निधि का कुल आकार 29, 110 करोड़ रुपए हो गया।

(vi) **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए केसीसी सुविधा का विस्तार किया है। यह सुविधा व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ताओं, संयुक्त देयता समूहों या स्वयं सहायता समूहों के लिए उपलब्ध है, जिसमें स्वामित्व वाले, किराए पर या पट्टे पर दिए गए शेड वाले किरायेदार किसान भी शामिल हैं।

(ख) जिन योजनाओं से भिंड और दतिया सहित मध्य प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को लाभ मिला है वे निम्नानुसार हैं:

(i) **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इस मिशन के राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कार्यक्रम के तहत
(ii) भिंड जिले में 1.89 लाख पशुओं को शामिल किया गया, 2.1 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए तथा 1.23 लाख किसानों को लाभ मिला। इसी प्रकार, दतिया जिले में 0.96 लाख पशुओं को शामिल किया गया, 1.14 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए तथा 0.62 लाख किसानों को लाभ मिला।

(ii) **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:** इस योजना के अंतर्गत भिंड और दतिया जिले शामिल हैं और वर्ष 2018-19 में 218.5 लाख रुपये के आवंटन के साथ एक परियोजना को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा, परियोजना के तहत भिंड और दतिया जिलों में कुल 36.45 लाख रुपये की लागत से मिल्क एनालाइजर के साथ 27 स्वचालित दूध संग्रहण इकाइयाँ स्थापित की गईं।

(iii) **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** इस योजना के अंतर्गत भिंड में कुल खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) के लिए 10.12 लाख टीके लगाए गए तथा दतिया में एफएमडी के लिए कुल 6.97 लाख टीके लगाए गए।

(iv) **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** मध्य प्रदेश में कुल 2.20 लाख सक्रिय केसीसी हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत दतिया और भिंड जिलों सहित मध्य प्रदेश को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में पर दिया गया है।

****

अनुबंध- I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दतिया और भिंड जिलों सहित मध्य प्रदेश को आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण।

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	6024.963	9049.51	4903.00	0.00
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	314.47	1307.31
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	620.96	0.00	350.00	500.00
पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	6496	352.73	4889.02	5096.89

*****